

Case No. 32117 Complaint or report made on .....

Name , parentage, caste and address of accused

① राजेश 510 रमेश 720 अशोक 28 वर्ष  
510 वर्ष 13 गाँव

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 23-11-12 मुकाम

में आम रोड पर ..... करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे  
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.




// निर्णय //

(आज दिनांक 5-12-17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(3) पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रुपये 500 शब्दों में पचास रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 10/12 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
हस्ताक्षर  
प्रथम न्यायाधीश  
महाराष्ट्र